उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्याः 33/2024/702497/सत्ताईस-1-2024-27-1001(002)/6/2023
लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2024

कार्यालय-आदेश

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के श्री संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) को शासन के अग्रिम आदेशों तक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) को पृथक से वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जलशक्ति विभाग, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
12. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in